## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय–आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पत्र क्रमांक एफ.6(9) परीक्षा क/ प्राध्यापक / (स्कूल ग)/हिन्दी (छात्र)/2015–16/1693 दिनांक 30.11.2018 द्वारा प्राध्यापक (रकूल शिक्षा) भूगोल थेतन लेयल के पद पर सलग्न सूची में विवरणांकित अभ्यर्थियों को नियुपित हेतु अभिस्तायित किये जाने के फलरयरुप अभ्यर्थियों को प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर 02 वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ) के रूप में नियुपित प्रदान की जाकर उनके नाम के समुख अंकित रथान पर प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा)– ल के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की गंक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–1(12)डीओपी/ए–11/2005 दिनाक 20.01.2006 एव –12(06) एफडी (नियम)/2005 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ–15 (1) / एफडी / रूल्स/2017 दिनाक 10.2017 एवं 9.12.17 के प्रावधानुसार राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यर्थियों को विद्यमान वेतन एव नज नेत कार्मिकों को नियम पारिश्रमिक नियमानुसार देय होगा । राज्य सरकार के परिपत्र क्रमारू प )कार्मिक(क–2)/3 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुपित अंशदायी पेंशन योजनान्तरात हांगी **धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्युओ पर कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित** गें–

- 01 अभ्यर्थी के शैक्षिक / प्रशैक्षिक अंकतालिकाओं / प्रमाण पत्रों, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रनाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर उनका मूल दस्तावेजों के साथ मिलान करें। संबंधित अभ्यर्थियों से मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों से विवाह पजीयन प्रमाण पत्र, तलाकशुदा/विधवा महिलाओं से पुनर्विवाहित नहीं होने सम्बंधी शपथ पत्र एव अन्य नाम–उपनाम सम्बंधी शपथ पत्रादि प्राप्त करने के उपरांत ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे।
- 02 सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल प्रति ही प्राप्त कर कार्यालय अभितेरा ने सुरक्षित रखेंगे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा मे सेवारत हैं. उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्त्त करना आवश्यक नहीं होगा।
- 03 कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस–अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने कं उपरांत एवं सदाचरण रिपोर्ट मे कोई विपरीत टिप्पणी नही होना सुनिश्चित करेंगे. अन्यथा रिथति मं कार्यभार ग्रहण नही करवायें। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा मे सेवारत हैं. उनके लिये सदानरण रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
- 04 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी / ए–2 / 95 दिनाक 08.04 2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पत्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
- 05 जिन अभ्यिर्थीयों द्वारा राज्य से बाहर की संख्थाओ से प्राप्त शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियो से शपथ पत्र लेवें कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाए एवं दस्तावेज सही हैं। दस्तावेज के त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर जनकी निय्कित बिना किसी पूर्व नोटिस के निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विशिक कायजाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।
- 06 चयनित अभ्यिर्थी विमाग की वेबसाईट <u>http://education.rajasthan.gov.in/</u> से नियुक्ति आदेश की प्रति डाउनलोड कर समस्त आवश्यक औपचारिकताऐं पूर्ण करते हुए संबंधित पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार करने हेतु अधिकृत होंगे।

उक्त नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464-1466/2017 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम कैप्टन गुरविन्दर सिंह व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनाक 9/5/17 क

निर्णय एवं एस0बी0सिविल रिट पिटीशन संख्यां 8857/17 अरविन्द कुमार व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 2/6/17 के निर्णय क अध्यधीन रहने के साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4695-4699/2018 रिशाल व अन्य बनाम आयोग व अन्य के अन्तर्गत एस0एल0पी0 संख्या 14306-14310/2017 पारित आदंश दिनाक 03 05.2018 की अनुपालना में माननीय न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर प्राध्यापक स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2015 विषय भूगोल (813 संस्थायें) के पूर्व घोषित परिणाम दिनांक 12/6/17 के अतिकमण में दिनांक 25/7/18 को जाशे किय गय नवीनतम परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त अभिस्तावना के अनुसार पदस्थापन किटा जाता है । इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनाक 24.12.2018 तक कार्यग्रहण करन अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश रचतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थ द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज सूचनाए सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाए समाग्त की जा सकेगी ।

संलग्न सूचि

निदंशक माध्यमिक शिक्ष। राजस्थान,बीकानर

क्रमांक :- शिविश/मा/संस्था/सी-5/नियुक्ति- **भूगोल /**रिशफल रिजल्ट पीएससी-15 दिनांक :- १५-१२-१८ प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 01 शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज. जयपुर।
- 02 शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) / कार्मिक (ग्रुप-2) विभाग, राज. जयपुर।
- 03 सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग. अजमेर।
- 04 संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा, / संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा,
- 05 कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर आदेश अपलोड करने हेतु
- 06 संबधित प्रधानाचार्य राउमावि/संबंधित आशार्थी
- 07 अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएसी प्रभाग कार्यालय हाजा।/ निजी/रक्षित पत्रावली।

माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

	मेरिट नं.	चयन वर्ग	वर्ग	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्मतिथि	स्थाई पता	पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	जिला
1	1174	GENF			SUDHIR KUMAR BANERJEE			GSSS RAJGARH, PEESANGAN, AJMER	Ajmer
2	1178	GENF	GE,WE, WD	SAROJ KUMARI	SURESH KUMAR SHARMA		surajgarh, jhunjhunu	SHAHEED FARUKH AHMED GSSS, BHIMSAR JHUNJHUNUN	וחעחאנעחאנ
	3 118	DISCF	SC,WE, DV	AMAR PREET KAUR	JEET SINGH	18-10-1981	jamalpur, new sukhdev nagar,Ludhiana	GSSS GHAMANDIA, GANGANAGAR	GANGANAGAR
1.4	4 118	7 GEN	F BC,WE WD	, ANITA	RAM SINGH	05-04-1993	post bhatiwad,udaipurwati, Jhunjhunu		JHUNJHUNU
	5 6	46 GEN	IF GE,WI	E RESHMA	ROHTASH	04-04-1982	2 jhojhu khurd, chakdadri, haryana	shaheed captain dhanwan sharma GSSS Morwa, Junjhunun	THUNIHUND

О 2

(नधमल डिडेल) आईएएस निदेशक मध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानर